अध्याय I
सेवा कर प्राप्तियां

1.1 कर प्रशासन

वित्त अधिनियम, 1994 के माध्यम से सेवाकर 1 जुलाई 1994 से प्रारम्भ हुआ था। सेवाकर का प्रशासन वित्त मंत्रालय (मंत्रालय) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादशुल्क विभाग में निहित है। केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (बोर्ड) ने मुम्बई में सेवाकर प्रशासन के लिए एक पृथक शीर्षस्थ प्राधिकरण की स्थापना की है जिसका मुखिया महानिदेशक, सेवाकर (डीजीएसटी) होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर के आयुक्तों को अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर सेवाकर के संग्रहण हेतु प्राधिकृत किया गया है।

1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

इस प्रतिवेदन में विभागीय कार्यालयों तथा सेवाप्रदायकों के परिसरों में अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा से लिए गए, अलग से या एक साथ मिलाकर दर्शाए गए 44 पैराग्राफ शामिल हैं। इन पैराग्राफों में ₹ 70.38 करोड़ का राजस्व शामिल है। इसके अतिरिक्त, हमने मार्च 2010 तक आयोजित लेखापरीक्षा के लिए ₹ 91.80 करोड़ के मूल्य के 150 पैराग्राफ भी जारी किए थे। विभाग/मंत्रालय ने इन 150 पैराग्राफों पर कारण बताओं ज्ञापनों को जारी करके, कारण बताओ ज्ञापनों पर निर्णय देकर तथा ₹ 31.71 करोड़ की वसूली करके सुधारात्मक कार्रवाई पहले ही कर ली है।

1.3 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान वार्षिक बजट के माध्यम से प्राप्त राजस्व और सेवाकर से वास्तविक प्राप्तियों को निम्न तालिका और ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है:-

तालिका सं.1

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	सेवा कर के अध्यधीन सेवाओं की संख्या	बजटीय अनुमान	संशोधित बजटीय अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ*	वास्तविक प्राप्तियों और बजटीयअनुमानों के बीच अन्तर	प्रतिशतता अन्तर
2005-06	81	17,500	23,000	23,055	5,555	31.73
2006-07	97	34,500	38,169	37,598	3,098	8.98
2007-08	104	50,200	50,603	51,301	1,101	2.19
2008-09	108	64,460	65,000	60,940	(-) 3,520	(-) 5.46
2009-10	115	65,000	58,000	58,422	(-) 6,578	(-) 10.11

* वित्त लेखे के अनुसार आंकड़े

ग्राफ 1 : सेवा कर प्राप्तियां-बजटीय,संशोधित तथा वास्तविक

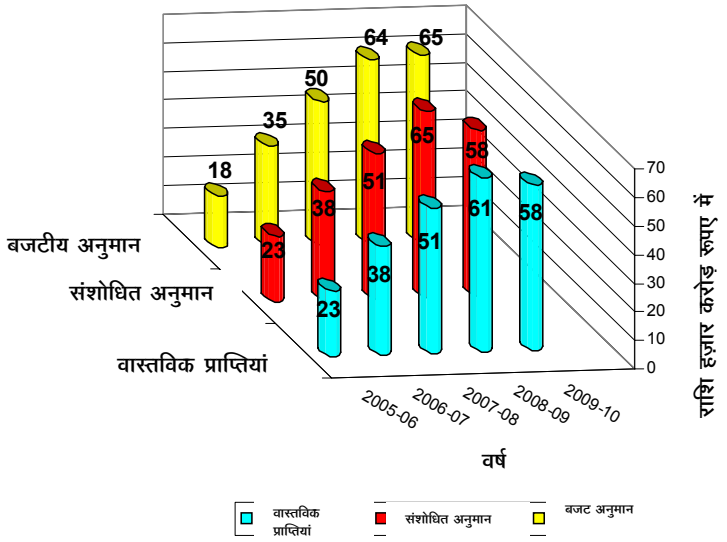

2009-10 को छोड़कर जब ये बजटीय अनुमानों की अपेक्षा 10.11 प्रतिशत कम थे, 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि के दौरान सेवाकर के वास्तविक संग्रहण स्पष्ट रूप से बजट अनुमानों के काफी निकट थे। वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में सेवा कर संग्रहण में ₹ 2,519 करोड़ (4.13 प्रतिशत) की कमी हुई। इसका मुख्य कारण सेवा कर की दर का 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक घटना था।

1.4 बकाया माँग

31 मार्च 2010 को मामलों की संख्या और अधिनिर्णयन/वसूली हेतु बकाया* सेवाकर मांगों में अन्तर्ग्रस्त राशि निम्न तालिका में दी गई है :-

तालिका सं. 2

(राशि ₹ करोड़ में)

निम्नलिखित के समक्ष लम्बित निर्णय	31 मार्च 2009 को				31 मार्च 2010 को			
	मामलों की संख्या		राशि		मामलों की संख्या		राशि	
	पाँच वर्षों से अधिक	पांच वर्षों से कम	पाँच वर्षों से अधिक	पांच वर्षों से कम	पाँच वर्षों से अधिक	पांच वर्षों से कम	पाँच वर्षों से अधिक	पांच वर्षों से कम
अधिनिर्णयन अधिकारी	10,891	46,572	46.80	11,575.80	774	30,896	1,369.13	14,849.99
अपीलीय आयुक्त	37	2,588	27.56	1,132.93	66	3,987	7.74	483.40
बोर्ड	0	3	0.00	1.97	0	5	0.00	5.07
सरकार	4	6	5.73	2.42	5	2	0.27	0.10
अधिकरण	60	5,294	28.78	2,639.92	154	3,161	147.98	35,641.07
उच्च न्यायालय	24	173	7.56	110.18	49	597	18.22	561.19
सर्वोच्च न्यायालय	0	121	0.00	7.20	3	31	0.67	20.26

अवपीड़क वसूली कार्रवाई के लिए लम्बित	4,117	18,396	9.95	6,836.11	3,306	24,770	26.94	1,416.40
जोड़	**15,133**	**73,153**	**126.38**	**22,306.53**	**4,357**	**63,449**	**1,570.95**	**52,977.48**

* मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

₹ 54,548.43 करोड़ के कर से अन्तर्ग्रस्त कुल 67,806 मामले विभिन्न प्राधिकारियों के पास 31 मार्च 2010 को लम्बित थे जिनमें से संख्या के रूप में 46.70 प्रतिशत विभाग के अधिनिर्णयन अधिकारियों के पास थे। लम्बित वसूली के विषय में मांग 2008-09 में 22,513 मामलों से बढ़कर 2009-10 में 28,076 मामले हो गई थी, अर्थात 24.71 प्रतिशत की वृद्धि।

1.5 धोखाधड़ी/सम्भावित धोखाधड़ी के मामले

2007-08 से 2009-10 तक की अवधि के दौरान चूककर्ता निर्धारितियों के विरूद्ध विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के साथ धोखाधड़ी/सम्भावित धोखाधड़ी के मामलों * की स्थिति निम्न तालिका में प्रदर्शित है:-

तालिका सं. 3

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	**पता चले मामले**		**उठाई गई शुल्क की मांग**	**लगाई गई शास्ति**		**संग्रहीत शुल्क**	**संग्रहीत शास्ति**	
	संख्या	**राशि**	**संख्या**	**राशि**	**संख्या**	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
2007-08	1,716	787.18	574.54	171	179.04	331.74	34	2.74
2008-09	2,330	3,770.64	2,236.07	156	170.20	429.26	20	0.48
2009-10	2,046	3,041.60	2,510.77	110	19.41	456.84	27	0.76
जोड़	**6,092**	**7,599.42**	**5,321.38**	**437**	**368.65**	**1,217.84**	**81**	**3.98**

* मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

उपर्युक्त डाटा से पता चलता है कि जबकि विभाग द्वारा 2007-10 के वर्षों के दौरान धोखाधड़ी/सम्भावित धोखाधड़ी के 6,092 मामलों का पता लगाया गया था जिनमे ₹ 7,599.42 करोड़ का कर शामिल था, फिर भी उसने केवल ₹ 5,321.38 करोड़ की मांग उठाई थी और ₹ 1,217.84 करोड़ (22.88 प्रतिशत) की वसूली की थी। इसी प्रकार, लगाई गई ₹ 368.65 करोड़ की शास्ति में से विभाग मात्र ₹ 3.98 करोड़ (1.08 प्रतिशत) की ही वसूली कर सका।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

1.6.1 राजस्व प्रभाव

विगत पांच (चालू वर्ष के प्रतिवेदन सहित) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमनें 715 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में ₹ 1,159.94 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाली कम उद्ग्रहण की और अन्य कमियों को बताया था। इनमें से सरकार ने ₹ 599.55 करोड़ के 597 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की थी और उनमे से ₹ 217.53 करोड़ की वसूली कर ली थी। विवरण निम्न तालिका में दिए गए हैं :-

तालिका सं. 4

(राशि ₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ						की गई वसूलियां					
			मुद्रण पूर्व		मुद्रण पश्चात		जोड़		मुद्रण पूर्व		मुद्रण पश्चात		जोड़	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
2005-06	83	266.47	38	28.40	2	0.39	40	28.79	20	7.38	5	1.06	25	8.44
2006-07	125	79.02	117	65.49	1	1.74	118	67.23	60	18.19	34	5.23	94	23.42
2007-08	158	276.72	112	47.43	14	24.74	126	72.17	57	23.22	11	1.67	68	24.89
2008-09	155	375.55	130	305.13	8	4.92	138	310.05	90	127.49	1	0.24	91	127.73
2009-10	194	162.18	175	121.31	--	--	175	121.31	112	33.05	--	--	112	33.05
कुल जोड़	**715**	**1159.94**	**572**	**567.76**	**25**	**31.79**	**597**	**599.55**	**339**	**209.33**	**51**	**8.20**	**390**	**217.53**

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति ने अपनी नौंवी रिपोर्ट (ग्यारहवीं लोक सभा) में इच्छा व्यक्त की कि लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के समस्त पैराग्राफों पर उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) संसद के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के अन्दर उन्हें प्रस्तुत कर दी जाएं।

मंत्रालय ने 2009-10 के प्रतिवेदन संख्या 13 से सम्बन्धित 36 पैराग्राफों पर प्रतिवेदन पटल पर रखे जाने के आठ महीने बाद भी उपचारात्मक कार्रवाई की टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थी।